

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

42

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 2497/पीबीआर/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 25.04.2016 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 148/अपील/2013-14.

किशनलाल

पुत्र श्री रामलाल

निवासी बरखेड़ा पठानी, शिवाजी बाड़ा

तहसील हुजूर जिला भोपाल, म.प्र.

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

श्री व्ही.एच. बासवानी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 25.04.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर कलेक्टर, भोपाल ने अपने पत्र दिनांक 25.07.2008 के द्वारा प्रतिवेदित किया कि ग्राम कालापानी में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 32/1 (नवीन खसरा नं. 129 एवं 144) कुल रकबा 1.55 हैक्टेयर, खसरानं. 32/1 (नवीन खसरा नं. 133 एवं 141 मिश्रित होकर) कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 32/1 (नवीन खसरा नं.





130, 131 एवं 143 मिश्रित होकर) कुल रकबा 1.84 हैक्टेयर तुलसी एवं हरफूल पुत्रगण लखमा निवासी ग्राम कालापानी को दिनांक 07.12.1975 कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित की गई थी। पट्टा ग्रहिताओं ने सक्षम अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि का अंतरण कर दिया है। अतः प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया गया। अपर कलेक्टर, भोपाल का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, भोपाल ने जांच उपरांत आदेश दिनांक 28.02.2009 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के पट्टे निरस्त करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज करने तथा कब्जा प्राप्त करने का आदेश दिया। कलेक्टर, भोपाल के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त, भोपाल द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 106/अपील/08-09 दर्ज कर दिनांक 30.11.2009 को कलेक्टर, भोपाल का आदेश दिनांक 28.02.2009 निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। आयुक्त, भोपाल के आदेश के पुर्नविलोकन की अनुमति राजस्व मंडल द्वारा चाही गई। राजस्व मंडल द्वारा दिनांक 28.05.2014 के माध्यम से पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान की गई। आयुक्त भोपाल द्वारा 148/अपील/2013-14 दर्ज कर दिनांक 25.04.2016 को पुर्नविलोकन आदेश पारित करते हुए अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

- (1) आयुक्त द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि कलेक्टर, भोपाल द्वारा स्वप्रेरणा में निगरानी मात्र इस आधार पर प्रचलित की गई कि जो भूमि शासन द्वारा लखमा को पट्टे पर दी गई थी, उसे विक्रय किये जाने के संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, जबकि आयुक्त, भोपाल द्वारा पूर्व में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए अपने आदेश की कंडिका 5 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि 'लखमा को जो भूमि पट्टे पर दी गई है, उसकी अवधि समाप्त होने के उपरांत तहसीलदार द्वारा पट्टेदार को दिनांक 16.12.1988 को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे। ऐसी स्थिति में पट्टे का अस्तित्व न होने से किसी शर्त के उल्लंघन का प्रश्न




ही उत्पन्न नहीं होता है', जिसके विपरीत पुनः अभिमत देते हुए कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य आदेश की पुष्टि करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की गई है।

- (2) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि मूल पट्टेदार लखमा के पक्ष में पट्टे की अवधि के समाप्ति उपरांत उसे भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे, जिस कारण संहिता की धारा 182(2) का उल्लंघन प्रमाणित नहीं था, जिसके विपरीत आलोच्य आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि कारित की गई है।
- (3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह ध्यान नहीं दिया गया कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के उपरांत पट्टेदार को तहसीलदार द्वारा भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करने के कारण भूमि स्वामी ऐसी भूमि को अंतरित करने का अधिकार रखता था और उसे किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसे भी अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि की दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- (4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि पारित आदेश दिनांक 30.11.2009 में जो अभिमत दिया गया है, उसके विपरीत अभिमत दिये जाने के संबंध में कोई अन्य परिवर्तित परिस्थितियां एवं तथ्य अभिलेख पर नहीं थे, जिसके उपरांत भी आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की गई है।
- (5) विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि मूल आवंटी/पट्टेदार लखमा भाट को वर्ष 1975 में पट्टा दिया गया था, तब वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील नहीं था और ना ही अस्तित्व में था। तब उक्त अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व वर्ष 1949 में पट्टे पर दी गई भूमि राजस्व अभिलेखों में स्थिति रैयतवारी भी अंकित थी, जिस कारण पट्टे पर भूमि दिये जाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं थी, जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों से प्रभावित होने के संबंध में दिया गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है तथा कलेक्टर, भोपाल द्वारा स्प्रेरणा में लिये गये आधारों से सर्वथा विपरीत एवं भिन्न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।




उक्त तर्कों के समर्थन में म.प्र. राज्य 1999 रा.नि. 363 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को दिया गया पट्टा त्रुटिपूर्ण था क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि छोटा जंगल मद की भूमि थी, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभाव में आ गया था जिसके अंतर्गत वन भूमि अथवा उसके किसी भाग पर गैर वन प्रयोजन के लिये उपयोग प्रतिबंधित है। अतः वर्ष 1988 में इस क्षेत्र की भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार नहीं दिये जा सकते थे। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरुद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-4-2016 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-4-2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर